B.A. Part 2 Hons

Topic: Cost and Benefit Theory of Taxation

Dr Kumari Manju
H.O.D. Eco
R.N.C.

कर के लाभ सिद्धान्त को दो अर्थों में समझा जा सकता है – (1) सेवा की लागत का सिद्धान्त (Cost of service principle) तथा (2) सेवा का मूल्य सिद्धान्त (value of service principle. (Benefit theory तथा Cost of service principle)

(1) सेवा के लागत के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कर के रूप में उस सेवा की लागत के भुगतान ~~केवल~~ करना चाहिए जिस सेवा का उसने उपभोग किया है। तात्पर्य यह है कि राज्यों के द्वारा जो नागरिकों के लिए जो सेवाएँ प्रदान की जाती हैं उसकी वास्तविक लागत के अनुसार ही कर की दर निर्धारित की जानी चाहिए।

(2) सेवा का मूल्य सिद्धान्त के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को कर के रूप में उतनी राशि देनी चाहिए जो वह सरकार से प्राप्त सेवाओं और सुविधाओं का मूल्य समझता है। इस सिद्धान्त में निम्न बातें निहित हैं:

(1) इसमें लाभ अथवा हित को करारोपण का औचित्य सिद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। (2) लाभ करों के भार का वितरण करने वाले एक मापक या scale के रूप में कार्य करता है।

लाभ-सिद्धान्त का उपयोग सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण में किया जाता है, जैसे कि बिजली तथा परिवहन सेवाएँ आदि जिनमें कि व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभों को बिना किसी कठिनाई के मापा जा सकता है।

लाभ-सिद्धान्त को नगरपालिका जैसी स्थानीय सरकारों द्वारा सम्पत्ति के उन मालिकों पर विशेष कर लगाने के आधार के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है जो कि स्थानीय सार्वजनिक निर्माण कार्यों से लाभान्वित होते हैं। व्यक्तियों के उन समूहों पर जिन्हें किसी व्यय पर से प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है, उन पर भी इस सिद्धान्त को लागू किया जाता है।

इस सिद्धान्त के गुण: (1) करों की न्याय संगतता (Equity in Tax) इस सिद्धान्त का मूल गुण यह है कि यह इस मान्यता पर आधारित है कि सरकारी सेवाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ उन करों को न्यायोचित ठहराते हैं जो कि उन सेवाओं के लिए भुगतान किए जाते हैं।

(2) आय व्यय दोनों पर ध्यान (Both Revenue and Expenditure are taken into account): इस सिद्धान्त में बजट के आय और व्यय दोनों ही पक्षों पर संयुक्त रूप से विचार करता है। इसलिए सरकारी सेवाओं व करों के हिस्सों, दोनों का निर्धारण साथ-ही साथ कर देता है।

(3) सुविधापूर्ण विभाजन (Easy Distribution): इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि इसके आधार पर करों का सुविधापूर्वक विभाजन किया जा सकता है।

(4) अधिमानों में सामंजस्य (Adjustment in Preferences): इसके अनुसार यह सामाजिक वस्तुओं और व्यक्तियों के अधिमानों में सामंजस्य स्थापित करता है। वस्तुतः यह एक आदर्श-सिद्धान्त के लिए आवश्यक है।

Demerits (दोष): (1) असंगतता (Inconsistent): इस सिद्धान्त में यह मान लिया गया है कि करदाता को मिलने वाला लाभ और कर के बीच "जैसे को तैसा" सम्बन्ध होता है, जबकि करों में ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं होता है।

(2) लाभ की माप (Measurement of Profit): सरकार जो कुछ कर के रूप में लेती है, वह प्रायः सामान्य लाभों के लिए व्यय करती है अतः सामान्य लाभों के लिए यह निश्चित करना कठिन है कि प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग कितना लाभ हुआ।

Scanned with CamScanner

(3) सामाजिक सेवा (Social service) इस सिद्धांत को सामाजिक सेवाओं में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता क्योंकि सामाजिक सेवाएं, जैसे - निःशुल्क शिक्षा व चिकित्सा आदि के लिए, शुल्क लेना हास्यास्पद लगता है।

(4) असमानपूर्ण सिद्धांत (Non-equitable): यह सिद्धांत असमानपूर्ण है क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम से निर्धनों को धनिकों की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त होता है, इसलिए धनिकों की तुलना में निर्धनों को अधिक कर देना पड़ेगा।

(5) वितरण की समस्या (Distribution Problem): इस सिद्धांत का अनुसरण करने पर वितरण की समस्या तथा आर्थिक व्यवस्था में स्थायित्व नहीं लाया जा सकता है जैसे कि राजस्व या मुख्य लाभ को उदाहरणस्वरूप यदि लाभ के अनुसार कर लगाया जायेगा तो जो आय में असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है।

(2) Cost of service theory या Principle: यह सिद्धांत लाभ सिद्धांत का ही एक वैकल्पिक रूप है। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि सरकार द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनकी वास्तविक लागत के अनुपात में कर लगाए जाने चाहिए। सरकार और नागरिकों के बीच एक विनिमय सम्बन्ध होता है। इस दृष्टि से सरकार सेवाओं की विक्रेता और नागरिकों को इन सेवाओं का क्रेता माना जाता है। अतः एक व्यक्ति जो टैक्स के रूप में देता है वह सरकार द्वारा दी गई सेवाओं का भुगतान है अर्थात कर सेवा लागत के अनुपात में लगाया जाना चाहिए। ब्यूहलर का मत है कि कर सरकार द्वारा जनता को की गई सेवा का मूल्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए - रेल, डाक, पानी, बिजली आदि का मूल्य या कर निर्धारित करना, परन्तु उक्त निर्धारण को हम 'दाम मूल्य' की संज्ञा दे सकते हैं, कर की नहीं क्योंकि कर में जैसे को तैसा नहीं होता।

सिद्धांत की कमियाँ: यह सिद्धांत जहाँ प्रगतिशील कर-प्रणाली को आधार मानता है, वहाँ इस सिद्धांत में निम्नलिखित कमियाँ हैं:

(1) माप कठिन (Difficult Measurement): एक व्यक्ति को सार्वजनिक वस्तु या सेवा से कितना लाभ मिलता है, उसे मापना कठिन है।

(2) अन्यायपूर्ण (Unjustified) - लाभ के सिद्धांत की भाँति ही सेवा लागत सिद्धांत भी अन्यायपूर्ण है क्योंकि समाज में अधिकांश सेवाएं निर्धन अथवा पिछड़े वर्गों के लिए की जाती हैं, यदि कर को सेवा लागत पर आधारित किया जाए तो कर का भी अधिकांश भाग इन्हीं से वसूल करना पड़ेगा। स्पष्टतः यह स्थिति अवांछनीय है।

(3) जनता पर अधिक कर-भार (More Burden on the public): अकुशल प्रशासनतंत्र की स्थिति में सेवा की लागत अधिक होगी फलतः जनता को भी अधिक कर-भार को सहन करना पड़ेगा।

(4) व्यक्तियों में विभाजन संभव नहीं (Distribution among Individual not possible): सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सेवाएं सामूहिक रूप में पूरे समाज के लिए होती हैं। अतः इनका व्यक्तियों में विभाजन या वितरण करना संभव नहीं है।